न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/27/2019	29–03–2019	07–11–2019

01– बनारसी पुत्र सुक्खा जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ़ ठेगूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– छीतर पुत्र सुक्खा
02– सावंत पुत्र सुक्खा
03– श्रीमति केसर देवी बेवा शिम्भू
04– गोकल पुत्र शिम्भू
05– संजय पुत्र शिम्भू जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ़ ठेगूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
06– कृष्णा पुत्री शिम्भू पत्नी मुकेश
07– सन्नी पुत्री शिम्भू पत्नी धर्मपाल निवासीयान अस्पताल के पीछे, बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
08– ललिता पुत्री शिम्भू पत्नी छुट्टन जाति माली
09– धम्मा पुत्री शिम्भू पत्नी मोहन जाति माली निवासीयान जौहड़ा वाली ढाणी विराटनगर जिला जयपुर राज0।

क्रमांक : 03 लगायत 10 वारिसान मृतक शिम्भू पुत्र सुक्खा

10– गणपत पुत्र सुक्खा
11– सनिता पत्नी पोखर पुत्रवधू सावंत जाति माली निवासी ढाणी नोपलावाली तन बाढ़ ठेगूवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
12– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2016 वाके ग्राम बाढ़ ठेंगूवास तहसील बानसूर।

उपस्थितः–
01–श्री रामनिवास सैनी –वकील अपीलांट
02–श्री शंकरलाल सैनी –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 05.07.2016 वाके ग्राम बाढ़ ठेंगूवास तहसील बानसूर जिसके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से इकरारनामें के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। क्योंकि अपीलांट्स से रैस्पो0 सं. 1 ने यह कहकर अंगूठा व फोटो लगवाया था कि उसने

जो दुरूस्ती का दावा पेश कर रखा था उसमें जवाब पेश करना है। रैस्पो0 सं. 2 द्वारा कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट ने अपने पत्रों से राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कराने पर दिनांक 27.03.2019 को जानकारी हुई। जिस पर नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई है। आराजी खसरा नम्बर 540/0.33, 541/0.02, 542/0.42, 543/0.02, 544/0.21 है0 वाके ग्राम बाढ़ ठेंगूवास तहसील बानसूर में स्थित है। विभाजन का निर्णय दिनांक 05.07.2016 को किया गया। दौराने कार्यवाही बन्दोबस्त संवत् 2060 में हाल खसरा नम्बर 540/0.33 है0 के साबिक खसरा नम्बर 464/2 बीघा 2 बिस्वा, हाल ख0नं. 541/0.02 के साबिक खसरा नम्बर 466/2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 542/0.42 के साबिक खसरा नम्बर 467/1 बीघा 13 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 543/0.02 के साबिक खसरा नम्बर 469/2 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 544/0.21 के साबिक खसरा नम्बर 468/17 बिस्वा से बने है। अपीलांट व रैस्पो0 सं. 1, 2 व 11 के पिता सुक्खा तथा रैस्पो0 सं. 3 लगा0 10 के पिता व पति शिम्भू के पिता सुक्खा की खातेदारी की आराजी थी। उनकी मृत्यु के बाद मुझ अपीलांट व रैस्पो0 सं. 1, 2 व 11 व शिम्भू व हमारी माता श्योकोरी को विरासत प्राप्त हुई। माता की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा भी हम पांचों भाईयों नाम विरासत में दर्ज हुआ। रैस्पो0 सं. 3 लगा0 10 के पति व पिता शिम्भू ने दिनांक 01.07.1996 को अपना हिस्सा 1/6 को अपीलांट के हक में हकत्याग कर दिया। रैस्पो0 छीतर ने दिनांक 20.08.1997 को अपना हिस्सा 1/6 को अपीलांट के हक में हकत्याग कर दिया गया। हाल आराजी खसरा नम्बर 543/0.03, 544/0.21 है0 के 1/2 भाग की खातेदारी का विवाद दुर्गाप्रसाद से हो गया। जिसने दुरूस्ती का दावा पेश कर यह निवेदन किया कि 1/2 हिस्सा हमारी बुजुर्गानी है। जिसको बन्दोबस्त विभाग द्वार खसरा नम्बर 469 रकबा 19 बिस्वा बनाकर आपकी हाल खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया। जिसको दुरूस्त किया जावें। वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र भी पेश किया गया। जो उपखण्ड अधिकारी बानसूर के यहां बउनवान दुर्गाप्रसाद बनाम छीतर दिनांक 21.05.2014 को खसरा नम्बर 543, 544 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति प्राप्त कर ली। तामील के बाद सुक्खा के विधिक वारिस पांचों भाई दिनांक 18.06.2014 को न्यायालय में उप0 हो गये। इस प्रकार उक्त वाद व स्थगन की जानकारी सबको बखूबी है। रैस्पो0 चालाक किस्म के व्यक्ति है। जिसने मुझ अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से विवादित खाता विभाजन धोके से प्राप्त कर लिया। रैस्पो0 सं. 1 ने बहुत चालाकी से मुझ अपीलांट की अंगूठा निशानी व छायाचित्र प्राप्त कर दुर्गाप्रसाद द्वारा पेश रिकॉर्ड दुरूस्ती वाद में स्वंय व अन्य भाईयों की खातेदारी भूमि को बचाने के उद्देश्य से मुझ अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से अंगूठा निशानी का उपयोग दुरूस्ती वाद के जवाब में ना करके खाता विभाजन सहमति पत्र के रूप में पेश किया गया है। इसलिए आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.07.2016 व 05.07.2016 को हल्का पटवारी व तहसीलदार बानसूर के समक्ष उप0 होकर अपनी अंगूठा निशानी खाता विभाजन सहमति प्रदान नहीं की गई। खाता विभाजन सहमति पत्र में अंकित गवाह पोकर रैस्पो0 सं0 2 का पुत्र व विजय सिंह रैस्पो0 गणपत का पुत्र है। जिन्होंने आपसी सडयंत्र रचकर विवादित दस्तावेज तैयार किया है। विवादित दस्तावेज में अपीलांट व रैस्पो0 सं. 1 लगा0 11 की सम्पूर्ण भूमि का विभाजन नहीं करके आंशिक भूमि का विभाजन किया गया है। विवादित दस्तावेज खाता विभाजन के लिए सही सह–खातेदार की स्वतंत्र सहमति से मुताबिक कब्जा मौका किया जाना था जो नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 05.07.2016 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं. 01 लगा0 12 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बटवारां दिनांक 05.07.2016 को किया गया है। बंटवारे के तीन साल बाद अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है। बंटवारे पत्र पर सभी खातेदारान् द्वारा हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की गई है तथा गवाह कराये गये है व अपनी–अपनी फोटो चस्पा की गई है। खसरा नम्बर 540 में एक स्कूल संचालित है। जो रैस्पो0 सं. 11 द्वारा बनायी गयी है। इसी प्रकार रेस्पो0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

सं. 12 उक्त विवादित आराजी पर रिहायशी मकान व पशुओं के लिए बाड़ा बनवाया गया है। अपीलांट को उक्त विभाजन पत्र की सम्पूर्ण जानकारी पटवारी हल्का द्वारा करवा दी गई थी। समस्त खातेदारान् द्वारा अपनी सहमति दिये जाने पर ही इस विभाजन पत्र को तहसीलदार बानसूर के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार बानसूर द्वारा समस्त खातेदारों के खाता विभाजन के आदेश प्रदान किये गये। खातेदारान् के अलावा गवाह पोकर सैनी व विजय सिंह के सामने अपनी फोटो विभाजन पत्र पर चस्पा कर हस्ताक्षर करवाये गये। करीब 40 साल पूर्व से वर्तमान विभाजन पत्र के अनुसार ही समस्त खातेदारान् अपनी आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे थे। अपीलांट का यह कथन कतैई गलत है कि दिनांक 27.03.2019 को तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर जानकारी हुई। जबकि सत्य बात यह है कि दिनांक 10.01.2019 को रैस्पो0 सं. 01 ने अपनी विवादित आराजी खसरा नम्बर 540/4 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बाढ़ ठेंगूवास को जरिये बयनामा बेचान दिनांक 10.01.2019 को कर दिया व क्रेता सुनीता देवी को मौके पर कब्जा दे दिया गया। अपीलांट ने एक सिविल वाद बनारसी बनाम छीतर के नाम से न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर के यहां दिनांक 24.01.2019 को इसी विभाजन पत्र को निरस्त करवाने के लिए पेश किया गया है। जो आज दिनांक भी विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट के बेईमानी आने के कारण व रैस्पो0 को आर्थिक व शारीरिक परेशान करने की नियत से अपील दिनांक 05.07.2016 के बाद लम्बे विलम्ब से पेश की गई। अपीलांट एक ही बिन्दू यानी विभाजन पत्र को खारिज करने बाबत दो न्यायालयों में अनुतोष चाही गई है। इसलिए यह अपील रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट को सम्पूर्ण जानकारी विभाजन पत्र तस्दीक होने के पूर्व ही थी। अपीलांट द्वारा आज अपील पेश की गई है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली विभाजन पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विभाजन पत्र पर अपीलांट व रैस्पो0 के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी व फोटो चस्पा किये हुए है तथा गवाहान् के भी हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट द्वारा अपील करीब 2 वर्ष 6 माह बाद पेश की गई है तथा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन से संबंधित एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर के यहां दायर किया हुआ है, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक सिविल वाद विचाराधीन है, यह न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं समझता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ नियमानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)